परिपत्र सं. 90/09/2019-जीएसटी

फाइल सं. सीबीईसी - 20/16/04/2018 - जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग
नई दिल्ली, दिनांक - 18 फरवरी, 2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/ केंद्रीय कर आयुक्त (सभी)

प्रधान महानिदेशक/ महानिदेशक (सभी)

महोदय/महोदया,

विषय:- अंतर्राज्यीय आपूर्ति के मामले मे इनवायस जारी करते समय सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46(एन) का अनुपालन - के संबंध में।

एक पंजीकृत व्यक्ति, जो कर योग्य माल अथवा सेवाएं अथवा दोनों की आपूर्ति करता है, उसके द्वारा केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम 2017 (संक्षेप में सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 31 में निहित प्रावधानों के अनुसार इनवायस जारी किया जाना आवश्यक है। केंद्रीय माल और सेवा कर नियमावली के नियम 46 में ऐसा ब्यौरा प्रस्तुत करने का विनिर्देश दिया गया है, जिनका कर इनवायस में उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

2. बोर्ड के संज्ञान में यह लाया गया है कि कुछेक पंजीकृत व्यक्ति (विशेषकर बैंकिंग, बीमा और टेलिकॉम क्षेत्र आदि में) सीजीएसटी नियमावली के नियम 46 (एन), जिसमें कर इनवायस में उक्त विवरण दिया जाना अनिवार्य है, का उल्लंघन करते हुए अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान की गई आपूर्ति के मामले में राज्य के नाम के साथ आपूर्ति के स्थान का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। बोर्ड क्षेत्र गठन के दौरान कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय माल और सेवाकर नियम 2017 की धारा 168 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एततद्वारा निम्नलिखित अनुदेश जारी करता है:-

3. जीएसटी, जो एक गन्तव्य आधारित उपभोग कर है, के प्रारंभ होने के बाद यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया कर उसी राज्य को देय होगा, जहां माल की खपत अथवा सेवाएं या दोनों दी जाती है। माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की अंतर्राज्यीय आपूर्ति के मामले में इसे कर इनवायस में राज्य के नाम के साथ आपूर्ति के स्थान का विवरण लेकर ही सुनिश्चित किया जाता है।

4. अत: सभी पंजीकृत व्यक्तियों, जो अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान माल की आपूर्ति अथवा सेवाएं या दोनों प्रदान करते हैं, कर इनवास में राज्य के नाम सहित आपूर्ति के स्थल का उल्लेख करे। क्रमश: माल और सेवाओं के मामले आपूर्ति के स्थान को तय करने के उद्देश्य से एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 10 और 12 के प्रावधानों का संदर्भ लिया जा सकता है। अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 अथवा 125 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

5. अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र के विषय को प्रचारित करने के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जाएं।

6. इस परिपत्र को जारी करने में यदि कोई कठिनाई आती है, तो उसे बोर्ड के संज्ञान में लाया जाए।

(उपेन्द्र गुप्ता)
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)